न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—35 / 2013 (2013 / 00010)75 / किशनगढ़

1. हजारी पुत्र सुजा जाति रेगर निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रतना पुत्र छोटू जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. प्रेम पत्नी रहतना जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. नोरत पुत्र मांगू जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. पार्वती पत्नी मांगू जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. छगन पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
6. बबली पत्नी छगना जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
7. कैलाश पुत्र मांगराम जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
8. मिश्री देवी पत्नी मांगूराम जाति रेगर निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश भू—आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.02.2008 (कैम्प ग्राम पंचायत बरणा)।

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री शंकर लाल चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—26.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील भू—आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.02.2008 (कैम्प ग्राम पंचायत बरणा)के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम गोरधनपरु पटवार हल्का बरणा हाल पटवार क्षेत्र बालापुरा तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 45 के वर्तमान मिन खसरा नम्बर 401/45, 387/45, 390/45, 393/45 रकबा 14 बीघा पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अपीलांट एक सद्भाविक कृषक हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत् सुधार करके एक सद्भाविक कृषक की श्रेणी को इंगित किया हैं। वर्णित आराजी पर बिना कब्जा होते हुए एवं बिना किसी प्रकार के राजस्व लगान अदायगी के आवंटन कमेटी द्वारा जल चेतना यात्रा (द्वितीय चरण) राजस्व अभियान 2008 में दिनांक 10.02.2008 को रेस्पोडेन्टस के नाम आवंटन कर दी। भू—आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.02.2008 (कैम्प ग्राम पंचायत बरणा) से व्यथित एवं पीड़ित होकर अपीलांट ने यह यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 08 से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी में विगत 31 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा हैं । अपीलांट एक सद्भाविक कृषक हैं एवं अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि को अथाह धन व्यय एवं शारीरिक परिश्रम करके उत्तन उपजाऊ एवं अधिक पैरावार भूमि के रूप में सर्जित किया है।। सन् 1990 2048 से पूर्व 10 वर्षो से काबिज काश्त है जिसके प्रमाण के लिए अपीलांटस के पास में खसरा परिवर्तनशील (पी—14) एवं धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिये गये राजस्व शुल्क की रसीदे मौजूद हैं। अपीलांट वर्णित भूमि में आवंटन/नियमन, खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रथम वरियता स्वरूप अधिकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 के पक्ष में आवंटन कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्टस का वर्णित भूमि में आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी राजस्व एजेन्सी द्वारा बिना कब्जे के आधार पर आवंटन कर गैर खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्टस को प्रदान कर दिये है जो विधि विरूद्ध हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि ग्राम गोरधनपरु पटवार हल्का बरणा हाल पटवार क्षेत्र बालापुरा तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 45 के वर्तमान मिन खसरा नम्बर 401/45, 387/45, 390/45, 393/45 रकबा 14 बीघा का आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 10.02.2008 को निरस्त फरमाया जावें एवं आवंटन कमेटी को निर्देशित किया जावे कि अपीलांट के पक्ष में आवंटन/नियमन की सिफारिश की जाकर आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही आवंटन किया गया हैं। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच पश्चात भूमि का आवंटन किया गया। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन भी गलत है कि रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आवंटित भूमि पर अपीलांट का विगत 31 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। आवंटन सलाकार समिति द्वारा आवंटित भूमि बाबत् पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात ही आवंटित की थी। नियम 14 (4) के अन्तर्गत के केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो गलत रूप से कोई तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। अपीलांटस केवल रेस्पोडेन्टस को हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से ही यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट ने हमारी कुछ भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हैं इसलिए उनके द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्टस को हैरान व परेशान के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आवंटन नियम विरूद्ध होने या फर्जी होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अभिभाषक अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील का निर्णय करना उचित समझते है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही भू–आवंटन सलाकार समिति ने विधि सम्मत आवंटन किया हैं। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया गया हैं। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्घघोषण जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर निमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच करने पश्चात भूमि का आवंटन किया गया। हमारे विचार से नियम 14 के उपनियम (4) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आवंटन निरस्त करने के लिए केवल तीन आधार अंकित किये गये हैं, प्रथम आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन छल अथवा मिथ्या व्यपदेसन (misrepresentation) से प्राप्त किया हों, दूसरा आधार यह है कि– आवंटन नियम विरूद्ध किया गया हों एवं तीसरा आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन शर्तो की अवहेलना की हों। विपक्षीगण ने जो आवेदन पत्र दिया उसमें ऐसा प्रकट नहीं किया कि छल अथवा व्यपदेसन (misrepresentation) से आवंटन कराया गया हों तथा किसी भी आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की अवहेलना की जाती है तो उसे इस आशय का नोटिस देना चाहिए और किस–किस आवंटी ने किस प्रकार आवंटन शर्तो की अवहेलना की, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। इस प्रकार भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ (कैम्प ग्राम पंचायत बरणा) द्वारा

पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.02.2008 विधि सम्मत हैं जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ (कैम्प कोर्ट बरणा) द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक10.02.2008 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा मौके रिपोर्ट दिनांक 05.12.2012 अनुसार ही भू–आवंटन सलाकार समिति ने विधि सम्मत आवंटन किया हैं। पटवारी हल्का रिपोर्ट बनाते समय अपीलांटस स्वंय वहॉ उपस्थित थे। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया गया हैं। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्धघोषण जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर निमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच करने पश्चात भूमि का आवंटन किया गया तथा यह भी माना कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को आवंटित भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में परिभाषित भूमि नहीं हैं। हमारे विचार से नियम 14 के उपनियम (4) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आवंटन निरस्त करने के लिए केवल तीन आधार अंकित किये गये हैं, प्रथम आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन छल अथवा मिथ्या व्यपदेसन (misrepresentation) से प्राप्त किया हों, दूसरा आधार यह है कि– आवंटन नियम विरूद्ध किया गया हों एवं तीसरा आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन शर्तो की अवहेलना की हों। विपक्षीगण ने जो आवेदन पत्र दिया उसमें ऐसा प्रकट नहीं किया कि छल अथवा व्यपदेसन (misrepresentation) से आवंटन कराया गया हों तथा किसी भी आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की अवहेलना की जाती है तो उसे इस आशय का नोटिस देना चाहिए और किस–किस आवंटी ने किस प्रकार आवंटन शर्तो की अवहेलना की, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज.भू–राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 कों विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए खारिज किया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं और अपील निरस्त योग्य है।

भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.02.2008 (कैम्प ग्राम पंचायत बरणा)।